1 10/22	अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/11/2022 को पेश हो
8 11/22	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14/12/2022 को पेश हो
14 12/22	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21/12/2022 को पेश हो
21 12/22	अधिवक्तागण उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादी का वादपत्र भली-भांति साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:25:50 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 70/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. अजीत सिंह पुत्र मान सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 52 एफ, तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 09.05.2022

उपस्थितः **1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादी**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक : .12.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 52 एफ की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता सख्या 93/87 के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.187 हेक्टैयर नहरी भूमि में से वादी के नाम 1.062 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम सुरजन सिंह दर्ज है, जो सहवन से गलत दर्ज हो गया है, जबकि मान सिंह दर्ज होना चाहिए था। इसके अलावा वादी के पिता के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड में नाम मान सिंह दर्ज है। वादी के पिता का नाम उक्त जमाबन्दी में मान सिंह दर्ज किया जाना विधि सम्मत है। उक्त नाम सम्बन्धी हुई त्रुटियों के कारण नामों में द्विअर्थता उत्पन्न हो गई है, जिससे वादी को अपनी भूमि के व्यवस्थापन व व्ययन सम्बन्धी अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इसके अलावा वादी को बैंक से ऋण प्राप्त करने, सोलर पम्प सैट व डिग्गी अनुदान प्राप्त करने एंव ऑफलाईन फसल बेचान के लिए आवेदन करने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड रहा है। राजस्व अभिलेख में यह त्रुटिपूर्ण इन्द्राज महज एक सद्भाविक भूल है, इसलिए उपर्युक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। राजस्व अभिलेख में हुई उक्त त्रुटियों का ज्ञान वादी को हाल ही में हुआ है, क्योंकि वादी गांव का भोला-भाला अनपढ व्यक्ति है, जो अपने हस्ताक्षर तक करना नहीं जानता है तथा जो अंगूठा छाप व्यक्ति है। वादी उक्त दुरूस्ती करवाने के लिए अविलम्ब यह दावा पेश कर रहा है। वादी आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादी से मिला और उक्त जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया, तो प्रतिवादी ने कहा कि यह राजस्व अभिलेख की शुद्धि क प्रकरण है, जिसे दावा पेश कर ही संशोधित करवाया जा सकता है, इसलिए उक्त दावा पेश किया जा रहा है, यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावे कि चक 52 एफ की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता सख्या 93/87 में अंकित नाम अजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह स्थान पर अजीत सिंह पुत्र मान सिंह दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन [illegible] गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 5144 दिनांक 22.08.2022 से [illegible] प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 52 एफ की चालू जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 [illegible] खाता संख्या 93 में अजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति कम्बोसिख साकिन देहखातेदार के नाम से मुरब्बा नम्बर 27/3.187 हेक्टैयर भूमि संयुक्त खाते में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी को [illegible] भूमि इन्तकाल संख्या 134 से खातेदारी दर्ज हुई है। खातेदारी इन्तकाल में सुरजन सिंह पुत्र मान सिंह की गैरखातेदारी भूमि का इन्तकाल सुरजन सिंह पुत्र मान सिंह, प्रकाश कौर पत्नी सुरजन सिंह, अजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह के नाम से खातेदारी दर्ज हुआ जो कि जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:25:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

सनद के आधार पर दर्ज हुआ। जो कि आदिनांक तक अजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह ही चला आ रहा है। पटवारी हल्का के अनुसार अजीत सिंह पुत्र मान सिंह ने बताया कि उक्त भूमि उन्हें कस्टोडियन आवंटित हुई थी एंव परिवार के सदस्यों के आधार पर भूमि आवंटित हुई थी जिसमें सुरजन सिंह पुत्र मान सिंह (स्वंय), प्रकाश कौर पत्नी सुरजन सिंह(पत्नी), अजीत सिंह पुत्र मान सिंह(भाई का नाम होना बताया गया) नाम दर्ज है। बेसिक रजिस्टर में आवंटी सुरजन सिंह पुत्र मान सिंह अंकित है व परिवार में प्रकाश कौर स्त्री व अजीत सिंह भाई अंकित है। प्रार्थी अपना नाम सही करवाकर अजीत सिंह पुत्र मान सिंह करवाना चाहता है। प्रार्थी अमनदीप सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया जो बाद सुनवाई खारिज किया गया। साक्ष्यवादी में गवाह अजीत सिंह स्वंय अजीत सिंह, ओमप्रकाश, देवेन्द्र सिंह, उपस्थित आया व शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। दस्तावेजात में प्रदर्श-1 चक 52 की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 93/87 की प्रति, प्रदर्श-2ए खसरा संख्या 32, 42 की पासबुक की छायाप्रति, प्रदर्श-3ए आधार कार्ड की छायाप्रति, प्रदर्श-4ए मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, प्रदर्श-5ए मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, प्रदर्श-6 सरपंच ग्राम पंचायत 56 एफ द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति, प्रदर्श-7 बेसिक रजिस्टर की प्रति प्रदर्शित करवाए। जो सामिल मिसल है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा चक 52 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 93/87 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम अजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह के स्थान पर अजीत सिंह पुत्र मान सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड में पिता का नाम मान सिंह दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत 56 एफ के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि अजीत सिंह पुत्र मान सिंह को मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूं। प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में या किसी भी रिकॉर्ड में जांच कर सही किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 52 एफ की चालू जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 93 में अजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति कम्बोसिख साकिन देहखातेदार के नाम से मुरब्बा नम्बर 27/3.187 हेक्टैयर भूमि संयुक्त खाते में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी को उक्त भूमि इन्तकाल संख्या 134 से खातेदारी दर्ज हुई है। खातेदारी इन्तकाल में सुरजन सिंह पुत्र मान सिंह की गैरखातेदारी भूमि का इन्तकाल सुरजन सिंह पुत्र मान सिंह, प्रकाश कौर पत्नी सुरजन सिंह, अजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह के नाम से खातेदारी दर्ज हुआ जो कि जारी सनद के आधार पर दर्ज हुआ। जो कि आदिनांक तक अजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह ही चला आ रहा है। हस्तगत प्रकरण में चक 52 एफ के मुरब्बा नम्बर 27 की 12 बीघा 13 बिस्वा भूमि के सनद आदेश 2318 श्रीमान् जिला पुनर्वास अधिकारी एंव प्रबन्धक अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 21.10.1986 को जारी किए गए है, जिसमें सुरजन सिंह पुत्र मान सिंह (स्वंय), परकाश (स्त्री), अजीत सिंह (पुत्र) के नाम अंकित है। इसी सनद आदेश 2318 के तहत खातेदारी इन्तकाल संख्या 131 दिनांक 20.12.1986 सुरजन सिंह वल्द मान सिंह, परकाश कौर पत्नी सुरजन सिंह, अजीत सिंह पुत्र सुरजन सिंह के नाम ... देह खातेदार दर्ज किया गया है। लिहाजा श्रीमान् जिला पुनर्वास अधिकारी एंव प्रबन्धक अधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा जारी सनद आदेश 2318 दिनांक 21.10.1986 ... हाजा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः वाद वादी अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित नहीं होने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sub... Chandra
Date: 2023.06.09 14:25
Reason: SelfAttested

से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक .12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Subha
Chandra
Date: 2023.06.09 14:25:5
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

अजीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत **88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट** मुकदमा नं. 70/2022

निर्णय दिनांक :- 21.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 21.12.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by
Chandra
Date: 2023.06.09
Reason: SelfAttes